



2026:AHC:35157

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5200 सन् 2026

निरुपमा सिंह

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रशांत शुक्ला, राम प्रकाश उपाध्याय

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरेन्द्र प्रसाद यादव, रवि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला, प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्था संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर० पी० एस० यादव को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्था संख्या 3/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला वाराणसी द्वारा आदेश दिनांकित 25.07.2025 का अनुपालन करने की प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के अन्तर्गत दाखिल की गई कार्यवाही, जिसका क्रमांक वाद संख्या 31700 सन् 2025 (निरुपमा सिंह बनाम सरकार) है, प्रत्यर्था संख्या 3 के समक्ष दाखिल की गई थी, जिसमें आदेश दिनांकित 25.07.2025 याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
4. प्रत्यर्था संख्या 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि उपरोक्त आदेश के संबंध में, यह दोनों पक्षों के बीच अंतिम हो चुका है। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक, सारनाथ, तहसील- सदर, जिला- वाराणसी द्वारा दिनांकित 03.06.2025 प्रस्तुत रिपोर्ट रखी है।
5. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2

6. अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही में, जिसका क्रमांक वाद संख्या 31700 सन् 2025 है, प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा 25.07.2025 को एक आदेश पारित किया गया था, जो पक्षों के बीच अंतिम हो चुका है। उक्त आदेश का अभी तक अक्षरशः और भावना के अनुरूप अनुपालन नहीं किया गया है।
7. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा कई प्रमुख रिट याचिकाओं प्रमुख मामला रिट याचिका संख्या 35470 सन् 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) निर्णीत दिनांक 18.12.2025, में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विधि को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। जिसमें पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं:-

“44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत सीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए उप-मण्डल अधिकारी को वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही सीमांकन और कब्जे की बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार भी दिए गए हैं। प्रवर्तन विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है—प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण त्वरित तंत्र को निरर्थक बना देती है और विधायी आशय को विफल कर देती है। तैयार किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (शासकीय आदेश दिनांकित 16.12.2025), प्रशासनिक विधि सिद्धांतों और निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था के संवैधानिक अनिवार्यताओं को सामंजस्य स्थापित करने वाला एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से उप-मण्डल अधिकारी और कलेक्टर, विधि के तहत धारा 24 के अंतर्गत आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

45. उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाए जाएं। अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाए।

46. प्रत्यर्थीगण, विशेषकर संबंधित उप-मण्डल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस रिट याचिका के सभी संबंधित आदेशों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित स्थल ज्ञापन/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार सख्ती से निष्पादित करें, जिसमें सीमा चिह्नों का निर्धारण और जहां आवश्यक हो, कब्जा बहाल करना सुनिश्चित करना शामिल है।”

3

8. इस स्थिति को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अन्तिम रूप निपटाया गया संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट को आदेश दिनांकित 25.07.2025 का विधि के अनुसार और साथ ही मीना देवी (उपरोक्त) जैसा कि मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

17 फरवरी, 2026

स्वाति

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”